

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: जीवि/परीक्षा-2/नामांकन/2012/5334

दिनांक : 26/10/2012

प्रति,

- (1) प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- (2) विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक,  
समस्त अध्ययनशालाएँ,  
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

**विषय - सत्र 2012-13 में प्रवेशित नवीन छात्र-छात्राओं के नामांकन आवेदन-पत्र जमा करने बाबत्।**

**संदर्भ - विश्वविद्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक जीवि/परीक्षा-2/नामांकन/गोप 0/2012/1758 दिनांक 10/09/2012 के परिपेक्ष्य में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय एवं अध्ययनशालाओं में शैक्षणिक सत्र 2012-13 में नवीन प्रवेशित छात्र-छात्राओं के नामांकन आवेदन-पत्र दिनांक 14.11.2012 तक माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल एवं मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं से विलम्ब शुल्क सहित 300/- रुपये तथा अन्य बोर्ड/अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं से विलम्ब शुल्क सहित 400/- रुपये के साथ आवेदन निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करायें।

ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2012-13 में नवीन प्रवेशित छात्र-छात्राओं के नामांकन आवेदन-पत्र आज दिनांक तक जमा नहीं कराये गये हैं। ऐसे महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त तिथि तक अनिवार्य रूप नामांकन आवेदन-पत्र जमा करायें।

नामांकन आवेदन-पत्र के साथ मूल अर्हता, मूल प्रवर्जन प्रमाण-पत्र/मूल टी.सी. प्रति हस्ताक्षरित, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर हों, संलग्न कर ही प्रस्तुत की जावे। अपूर्ण नामांकन आवेदन-पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किये जावेंगे। नामांकन आवेदन-पत्र के साथ कम्प्यूटरीकृत, कक्षावार (ALPHABETICAL) अंगेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अनिवार्य रूप से सूची भेजने का कष्ट करें।

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा प्रथमवार केन्द्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश दिये गये हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि नामांकन आवेदन-पत्रों के साथ ऑनलाइन कॉलेज रजिस्ट्रेशन लेटर की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। साथ ही जिन छात्रों के प्रवेश संस्था स्तर पर हुये हैं, उनकी सूची नोडल महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित कराकर संलग्न करें। छात्र-छात्राओं का नामांकन शुल्क बैंक चालान द्वारा ग्वालियर-चम्बल संभाग की सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की शाखाओं/जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की शाखा द्वारा ही जमा कराया जावे, जिसकी तृतीय प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जावे तथा आवेदन-पत्र पर निर्धारित कॉलम में बैंक चालान क्रमांक, दिनांक एवं रुपये भी अनिवार्य रूप से महाविद्यालय/छात्र-छात्राओं द्वारा अंकित किया जाये, तभी आवेदन-पत्र मान्य किये जायेंगे।

अतः समस्त संबंधित महाविद्यालय/अध्ययनशालाओं के प्राचार्य/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2012-13 में मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल द्वारा प्रथमवार केब्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत जिन कक्षाओं में ऑनलाइन प्रवेश दिये गये हैं, उन सभी छात्र-छात्राओं का नामांकन आवेदन-पत्र भरवाना अनिवार्य है। अगर कोई छात्र नामांकन आवेदन-पत्र भरने से छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में उस छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य/संबंधित छात्र की होगी।

भवदीय,



कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. प्रभारी, नामांकन शाखा, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
4. वेबसाइट प्रभारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर



सहायक-कुलसचिव (परीक्षा)